कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्था/एफ.2/प्र.नि./निर्देश/2016 दि 12/6/16

समस्त जिला कलक्टर्स **अत्यावश्यक**

विषयः–गैर शैक्षिक कार्यो में लगे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

विभाग में कार्यरत शिक्षक अपने मूल पदस्थापित स्थान से अन्य विभाग जिला कलक्टर, उपखण्ड, तहसील, निर्वाचन, जिला परिषद व पंचायत समिति कार्यालय अथवा विभाग के कार्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 की अवहेलना कर प्रतिनियुक्ति पर चल रहे है। इस अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विनीषिकी राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा।

शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यो से इतर गैर–शैक्षिक कार्यो में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य संपादित हो जाने के उपरांत भी लंबे समय तक प्रतिनियुक्तियों पर रहते है। जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है।

शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,जयपुर के पत्रांक- प.9(2)प्राशि/2015 दिनांक 7.7.15 से परिपत्र जारी कर इन प्रतिनियुक्तियो को समाप्त कर कार्मिकों को मूल विभाग में भिजवाने हेतु लिखा गया था।

आज भी अनेक शिक्षक जिला कलक्टर, उपखण्ड, तहसील, निर्वाचन, जिला परिषद व पंचायत समिति कार्यालयों अथवा अन्य विभागों में गैर शैक्षिक कार्यो में प्रतिनियुक्त/कार्य व्यवस्थार्थ लगे हुए है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में निवेदन है कि इन सभी को तत्काल अपने मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कराने का श्रम करें।

भवदीय,

12/6/16

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
I.A.S.

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

- शासन सचिव,माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद
- समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा,

12/6/16
निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर